राजस्व अपील संख्या 199 / 2023

अनवान

उमाराम बनाम राज्य

दिनांक 15—06—2023

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा, जिला बाडमेर के द्वारा राजस्व मुकदमा संख्या 108 / 2023 अनवान तहसीलदार पचपदरा बनाम उमाराम वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 05.06.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.06.2023 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया।

परिणामस्वरूप अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए तहसीलदार, पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका निरीक्षण करें तथा मौका नक्शा व मौका फर्द तैयार करें। उक्तानुसार कार्यवाही व सुनवाई पश्चात तहसीलदार प्रकरण का निस्तारण करें। कदीमी रास्ता होने की स्थिति में कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करें। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जोधपुर